

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-1199/2014/उदयपुर
2. अपील संख्या-1200/2014/उदयपुर

- श्री राजस्थान सिन्थेटिक्स लि. उदयपुर
बनाम
1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त,
वाणिज्यिक कर, उदयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त, (अपील)
वाणिज्यिक कर, उदयपुर।

....अपीलार्थी

....प्रत्यर्थागण

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम.एल.पाटौदी
अभिभाषक
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

....प्रत्यर्थागण की ओर से

निर्णय दिनांक : 18 .09.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त अपील संख्या 1199/2014 व 1200/2014 ये दो अपीलें अपीलार्थी की ओर से अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 82 में पृथक-पृथक अपीलों में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 30.04.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, उदयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम 2003 की धारा 23, 55, 58 व 73 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम 1956" कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत पारित अलग-अलग आदेश दिनांक 06.02.2013 यथावत रखे है तथा अपीलार्थी व्यवसायी की अपीलें अस्वीकार की गई हैं जिनसे व्यथित होकर ये अपीलें पेश की गई हैं जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है:-

अपील सं.	प्रथम अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या व निर्णय दिनांक	प्रत्यर्थी (व्यवहारी) का नाम	कर निर्धारण वर्ष एवं दिनांक	कर अनुदान	ब्याज	शास्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	
1199/2014	44/वेट/13-14/उदयपुर निर्णय दिनांक 30.04.2014	मै. श्री राजस्थान सिन्थेटिक्स लि. उदयपुर	2010-11 06.02.13	589253	3400423	0	3989676
1200/2014	45/सीएसटी/13-14/उदयपुर निर्णय दिनांक 30.04.2014	मै. श्री राजस्थान सिन्थेटिक्स लि. उदयपुर	2010-11 06.02.13	1999444	0	0	3989676

२४२

115

लगातार.....2

2. इन दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की राजस्थान राज्य में ही यार्न निर्माण की एक कम्पनी है, जिसे राज्य में राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम, 2003 (जिसे आगे RIPS 2003 कहा जायेगा) के आधार पर अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रखती है, किन्तु उसके द्वारा मांगा गया अनुदान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। सशक्त अधिकारी ने इस आधार पर मांगा गया अनुदान स्वीकार नहीं किया गया कि व्यवसायी को शुद्ध देय कर के आधार पर ही RIPS के अन्तर्गत अनुदान देय है। सशक्त अधिकारी के उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अपीलीय अधिकारी ने यथावत रखते हुये अपीलें अस्वीकार की है जिससे व्यथित होकर व्यवहारी ने ये अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की है।
4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी राजस्थान राज्य में यार्न निर्माण की कम्पनी है, जिसमें यार्न का निर्माण किया जाता है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी को रिप्स-2003 के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रखती है परन्तु व्यवहारी द्वारा क्लेम किया गया अनुदान सशक्त अधिकारी द्वारा इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी को शुद्ध देय कर के आधार पर रिप्स -2003 के अन्तर्गत अनुदान स्वीकार किया जायेगा, जो गलत है। उनका कथन है कि सकल कर देय का वहन अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ही किया गया है अतः आगत कर का समयोजन भी भुगतान का ही एक प्रकार है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर सकल कर देय के आधार पर अनुदान राशि दिलाने का निवेदन करते हुए प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. प्रार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।
6. बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित ताजा विधिक स्थिति का ससम्मान अध्ययन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स आरएसडब्ल्यूएम.लि., बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य तथा मैसर्स उमा पोलीमर्स लि., बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य क्रमशः एस.बी. सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 6903 / 2009 व 10230 / 2009 के प्रकरणों में निर्णय दिनांक 24.11.2011 पारित कर,

२१२

११५

लगातार.....3

कर संदाय (Tax Payable) के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं पर उत्पन्न विवादों का निस्तारण कर, निर्णय के पैरा-9 में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की गयी है, जो इस प्रकार है :- “.....The Contention of the Learned counsel for the assessee, though attractive is devoid of any merit and substance because it is hypothetical figure to construe ‘tax payable’ as the ‘gross tax liability’ or ‘output tax’ as defined in Section 2(24) of the VAT Act, 2003 which means the tax charged or chargeable under this Act by a registered dealer in respect of the sale of goods in the course of his business. Section 17 of the Act with heading “Tax payable by a dealer” on the other hand clearly provides that tax payable by dealer is only after reducing input tax and letter “T” which defines net tax payable is $O [(output\ tax) + R(reverse\ tax) + P (tax\ payable\ under\ section\ 4(2)) - I (Input\ tax)]$. Therefore, the ‘tax payable’ under the Rajasthan VAT Act, 2003 is nothing but ‘net tax payable’ by the assessee or manufacturer as per section 17 of the Act.....”

इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित निर्णय दिनांक 24.11.2011 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कर संदाय (Tax payable) की गयी व्याख्या के प्रकाश में, शुद्ध कर (Net tax) ही कर संदाय (Tax payable) योग्य है। बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि व्यवहारी द्वारा मांगा गया अनुदान कर निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया है कि व्यवहारी को शुद्ध देय कर के आधार पर ही रिप्स के अन्तर्गत अनुदान की गणना की गई, जो कि गलत है क्योंकि सकल कर देय का वहन व्यवहारी द्वारा ही किया गया है इसलिए आगत का समयोजन भी भुगतान का ही एक प्रकर है। इस तर्क को ध्यान में रखते हुए अपीलीय अधिकारी ने रिप्स-2003 के सम्बन्ध में जारी किये गये संशोधन एवं स्पष्टीकरण दिनांक 10.10.2008 के बिन्दु संख्या 3 को उद्धृत किया है, जो निम्न प्रकार है :-

"The term "tax payable" under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, is the amount of tax leviable under the Act less the amount of input tax credit, if any for the purpose of the Scheme."


उपर्युक्त स्पष्टीकरण स्पष्ट है कि अनुदान की गणना शुद्ध देय कर के आधार पर ही की जानी है, जिसको ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अनुदान की गणना की है। इसके अतिरिक्त अनुदान की गणना के लिए अपीलीय अधिकारी ने स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या 1 को उद्धरित किया है, जो निम्न प्रकार है :-

"Regarding periodicity for computation of subsidy under the Scheme, it is clarified that computation of subsidy under the Scheme shall be made on quarterly basis after submission of return for the quarter along with proof of deposit of tax. It is further clarified that subsidy under clause 7 is allowable after deposit of the tax."

उक्त स्पष्टीकरण के स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुदान की गणना प्रावधानों के तहत ही की गई, जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा रिप्स-2003 में राज्य सरकार द्वारा एफ.डी.एफ.4(18)एफडी/टैक्स-डिवी./2001 दिनांक 10.10.2008 को संशोधन कर दिये जाने के प्रावधानों का अपीलाधीन आदेश में अंकन करते हुए की गई है, जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है।

7. फलतः अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।
8. निर्णय सुनाया गया।

नन्थूराम
(नन्थूराम)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष